

महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा

आदेश

श्री नरेश कुमार, लिपिक, मुख्यालय का दिनांक 28.03.2022 से 27.04.2022 तक का (30 दिन का अर्ध-वेतनिक अवकाश या 60 दिन का मेडिकल अवकाश) हरियाणा सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2016 के उप-नियम 38 के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
29.04.2022

धीरेन्द्र खड्गटा, आई0ए0एस0
निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

11/5/22

पृ0 क्रमांक ए4-2022/ 42500-3

दिनांक 6-5-2022

SA/10
Ankita
11/5/22

इसकी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक-कम-डी0डी0ओ0, मुख्यालय।
2. विल सहायक, मुख्यालय।
3. आई.टी.सेल, मुख्यालय।
4. श्री नरेश कुमार, लिपिक, मुख्यालय।

Puseg

धीरेन्द्र खड्गटा

उप-अधीक्षक(प्रशा0-1)

कृते: निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।